



रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

नगर विकास योजना क्रमांक 01 (इन्द्रप्रस्थ फेस-02) रायपुरा में LIG फ्लैट्स 2BHK के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

क्रमांक

दिनांक

आवेदक/निविदादाता का नाम

निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/- (पांच सौ रुपये) की राशि रसीद क्रं.....

बुक क्रं.दिनांकद्वारा जमा की गई।

पासपोर्ट साईज
फोटो

कैशियर
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर छ0ग0

निविदादाता/आवेदक द्वारा भरा जाना है

1. आवेदक/निविदादाता का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. (अ) आयु
- (ब) व्यवसाय
4. आवेदक का पत्र व्यवहार का पूर्ण स्थाई पता :-
 - अ. निवास का पूर्ण पता
 - ब. व्यवसायिक पता
 - स. दूरभाष/मोबाईल नं.
 - द. मेल आईडी
 - इ. आधार नं.

टीप:-सफल निविदादाताओ को 3 मासिक किश्तो में पूर्ण राशि जमा करना होगा।

5. अर्नेस्ट मनी एवं फार्म शुल्क जमा करने का विवरण :-

अ. जमा की गई राशि

राशि शब्दों में

ब. बैंक ड्राफ्ट/पे.आर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण :-

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	जारी करने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	दिनांक एवं क्रमांक	
5.	राशि	

स. **NEFT /RTGS** का विवरण जो कि आवेदक द्वारा जमा की जाये :-

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	भेजने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	यू.टी.आर नम्बर	
5.	आवेदक का पेन नं0	

द. आवेदक द्वारा **NEFT /RTGS** से धरोहर राशि एवं फार्म शुल्क जमा करने हेतु विवरण:-

क्रं0	विवरण	
1.	रायपुर विकास प्राधिकरण A/c No.	
2.	खाते का नाम	कमल विहार कलेक्शन एकाउंट
3.	बैंक का नाम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सदर बाजार रायपुर (छत्तीसगढ़)
4.	IFSC	
5.	MICR CODE	
6.	SWIFT CODE	

टीप:- उपरोक्तानुसार जमा राशि से संबंधित दस्तावेज/पंजीयन राशि का विवरण अनिवार्य रूप से सलग्न करे।

6. असफल निविदाताओं के लिये राशि रिफंड प्राप्त करने हेतु :-

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	आवेदनकर्ता के बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	आवेदनकर्ता के बैंक का खाता क्रमांक (अंको का खाता क्रं0)	
4.	आवेदनकर्ता के बैंक का IFSC कोड	

7. आवेदक / निविदादाता द्वारा चाहे गएएल.आई.जी. 2 बीएचके एवं 3 बीएचके फ्लैट के लिए निम्नानुसार प्रवृष्टियां की जावें

सरल क्रमांक	ब्लॉक क्र./फ्लैट क्रमांक	आवेदक/निविदादाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य	आवेदक के हस्ताक्षर
		अंको में	
		शब्दों में	
		
		

टीप:- निविदादाताओ को रिक्त सूची से कोई एक फ्लैट क्रमांक सेलैक्ट कर रिक्त स्थान में भरना होगा ।

घोषणा

मैं रायपुर विकास प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ फेस-02 योजना के अंतर्गत उपर बताए गए फ्लैट को अपनी निविदा में अंकित मूल्य पर क्रय करना चाहता/चाहती हू। निविदा द्वारा फ्लैट आबंटन ना होने पर मेरा /हमारा कोई दावा नही होगा संलग्न नियम शर्तों पर मेरे/ हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए है।

हस्ताक्षर -

निविदादाता का नाम -

—:शपथ पत्र:—

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मुझे इन्द्रप्रस्थ फेस-02 में एल.आई.जी. **2BHK** आवंटन होने की स्थिति में :

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 40 तक सभी नियम/शर्तों मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली है। मुझे समझा दी गई है। मैं उक्त नियम/शर्तों का पालन करने वचन देता हूँ/देती हूँ।
2. मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगा/करूंगी।
3. मैं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
4. मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
5. मेरे अथवा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम पर भवन, आवासीय भूखण्ड अथवा प्रकोष्ठ भवन नहीं है अथवा आवंटन हेतु परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है।
6. भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन या तोड़-फोड़ नहीं करूंगा/करूंगी।
7. आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त नियम/शर्तें मुझे मान्य है। सभी प्रकार के प्राधिकरण के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।
8. मेरी/मेरे परिवार की वार्षिक आयरूपये है।
9. मैं जिला में विगत वर्षों से निवास कर रहा हूँ/रही हूँ।

आवेदिका/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति

पता

.....

मो.नं.नं..... फोन.नं.....



रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

नगर विकास योजना क्रं. 01 इन्द्रप्रस्थ फेस-02 के अंतर्गत
प्रधानमंत्री योजना के तहत निर्माणधीन एल.आई.जी. 2 बीएचके फ्लैट्स के
निविदा से विक्रयके नियम एवं शर्तें

1. निविदा आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2021 से 10.02.2021 तक प्रति दिन कार्यालिन दिवस में सुबह 10.30 से दोपहर 3.00 बजे तक एवं शनिवार को दोपहर 1.00 बजे तक शासकीय अवकाश को छोड़कर प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदा प्रपत्र प्रति दिन शाम 5.30 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे एवं निविदा दिवस को निविदा प्रपत्र दोपहर 1:30 बजे तक ही जमा होगा। निविदा दिनांक 11.02.2021 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय के तुतीय तल के सभा कक्ष में खोली जावेगी। निविदा के पश्चात शेष बचे फ्लैटों के लिए आवेदन फार्म का विक्रय एवं निविदा जमा करने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। निविदा खोले जाने के पश्चात् शेष रिक्त फ्लैटों की सूची प्राधिकरण के सूचना पटल एवं वेब साईट www.rdaraipur.com पर अपडेट कर दी जावेगी।
2. आवेदन-पत्र को रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.rdaraipur.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे डाउनलोड किए गए सभी आवेदन पत्रों के साथ 500/- रु. मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट, /NEFT/RTGS जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा, साथ ही संबंधित दस्तावेजो एवं पंजीयन राशि का विवरण भी संलग्न करना होगा।
3. आवेदन पत्र के साथ एल.आई.जी. 2 बीएचके फ्लैट हेतु रुपये 20,000/- धरोहर राशि बैंकर्स चेक/डी.डी. के माध्यम से भक्त माता कर्मा परिसर न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) में जमा करना होगा। एल0आई0जी0 (2बी.एच0के0) का आफसेट मूल्य 8,04,656 रुपये निर्धारित किया गया हैं। नगर विकास योजना क्रमांक 01 इन्द्रप्रस्थ फेस-II रायपुरा में बहुमंजिलिय फ्लैट (भूतल पार्किंग + 08 फ्लोर) (सुपर बिल्ट-अप एरिया 811.84 वर्गफुट, कारपेट एरिया 513.79 वर्गफुट) 2BHK का निर्माण किया जायेगा, जिसमें लिफ्ट की सुविधा होगी तथा बाह्य रख-रखाव (मेन्टेनेंस) शुल्क 60,349.00 रुपये एकमुश्त निर्धारित है।
4. निविदा एक ही लिफाफे में जमा करनी होगी। निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट एवं निविदा प्रपत्र एक ही लिफाफे में डालकर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर दिये गये प्रारूप अनुसार प्रविष्टी की जावे। (यदि आवेदन पत्र डाऊन-लोड किया गया हो तो आवेदनशुल्क 500.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGSका विवरण भी धरोहर राशि वाले लिफाफे में संलग्न करना होगा)

निविदा के लिफाफे के ऊपर निम्नानुसार विवरण दिया जावे

इन्द्रप्रस्थ फेस-02 योजना के अंतर्गत निविदा पत्र	
निविदा दाता का नाम :-	
फ्लैट क्र./ब्लॉक क्र. :-	
पता :-	
मो0 नं0 :-	

5. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्रॉफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चेक/NEFT/RTGS द्वारा ही स्वीकार की जावेगी जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जावेगी । बिना धरोहर राशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी ।
6. मुहरबंद निविदाएं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर छ.ग. में जमा की जा सकेगी ।
7. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य (आफसेट मूल्य) से कम राशि का प्रस्ताव होगा, स्वीकार्य नहीं होगा ।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को रहेगा, चाहे ऐसी निविदा उच्चतम मूल्य की ही क्यों न हों ।
9. प्लैट के आबंटन स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी । यदि डाक से पत्र वापस आ जाता है तो प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राधिकरण को आबंटन निरस्त करने एवं धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।
10. प्लैटोंका आबंटन आदेश प्राप्त होने पर आदेशनुसार राशि जमा करनी होगी ।
11. कंडिका क्रमांक (21) में उल्लेखित मांग पत्र के अनुसार निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर धरोहर राशि प्राधिकरण के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी ।
12. निविदाएं प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत निविदा वापसी/परिवर्तन से संबंधित कोई भी आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा तथा उनकी निविदाएं प्रक्रिया में शामिल मानी जाएगी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा यदि सफल होती है तो आबंटन स्वीकार न करने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी ।
13. आबंटिती को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय-समय पर अधिरोपित करों का भुगतान स्वयं करना होगा ।
14. आबंटिती को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम व उसके अधीन शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गए नियम, उपनियम, आदेश-निर्देश, संकल्प आदि का पालन करना अनिवार्य होगा ।
15. निविदा के नियम एवं शर्तों से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंधमें अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा । ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा । निविदादाता को पंच नियुक्त किये जाने के संबंध में आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही ऐसा पंच (आर्बिट्रेशन) रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो ।

16. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है।
17. कमल विहार के संबंध में विस्तृत जानकारी टोल फ्री नं. 18002337188 पर अथवा Mail-Id : info.rdaraiipur@gmail.com पर ली जा सकती है।
18. भवन के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र भक्त माता कर्मा परिसर न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) से एल.आई.जी. 2 बीएचके हेतु रूपये 500/- नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकते है।
19. आवेदन पत्र के साथ एल.आई.जी. 2 बीएचके फ्लैट हेतु रूपये 20,000/- धरोहर राशि बैंकर्स चेक/डी.डी. के माध्यम से भक्त माता कर्मा परिसर न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) में जमा करना होगा।
20. धरोहर राशि फ्लैट के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन स्वीकृत होने के बाद जमा पंजीयन राशि वापस चाहने पर पंजीयन राशि वापस नहीं करते हुए राजसात कर ली जावेगी। यदि किश्त की राशि भी जमा है तो नये पंजीयन पर आबंटन पश्चात किश्त की राशि प्राधिकरण को प्राप्त होने के बाद ही किश्त की राशि बिना जीएसटी के वापस की जायेगी।
21. एल.आई.जी. 2बी.एच.के. तथा एल.आई.जी. 3बी.एच.के. फ्लैट्स हेतु परिवार की वार्षिक आय सीमा रू. 3,00,000/- से 6,00,000/- (रूपये तीन लाख से छः लाख) तक पात्रता मापदण्ड हितग्राहीओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. आबंटन होने के पश्चात् किश्तें निर्धारित समय पर जमा करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी हितग्राही की होगी, इस हेतु पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय पर किश्त प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। किश्तजमा करने की तालिका आबंटन आदेश में उल्लेखित की जायेगी।
23. भवन पंजीयन/आबंटन परिवार के महिला सदस्य के नाम पर किया जावेगा। महिला आवेदक या महिला आवेदक के परिवार के साथ संयुक्त नाम पर भी आबंटन किया जा सकता है, परिवार में व्यस्क महिला ना होने कि स्थिति में पुरुष आवेदन कर सकते है। आवेदक के नाम पर अन्य कोई पक्का भवन/मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अर्थात नगर पंचायत, नगर पालिक निगम के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
24. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबंटिती को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आबंटिती को भवन के मूल्य पर आपत्ति हो तो प्राधिकरण में जमा राशि नियमानुसार प्राप्त कर सकेगा।
25. स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रकोष्ठ भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय में नियमों तहत किया जावेगा। भवनों में निर्माण हेतु स्ववित्तीय योजना अंतर्गत निर्धारित तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित है, निर्धारित समय पर देना होगा। विलंब हेतु नियमानुसार 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

26. प्रकोष्ठ भवनों में भूतल पर कवर्ड पार्किंग का प्रावधान रखा गया है, उसका उपयोग संबंधित ब्लाक के आबंटिती सामूहिक रूप से बिना विवाद के पार्किंग का उपयोग करेंगे।
27. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कालोनी का हस्तांतरण स्थानीय निकाय को करने की कार्यवाही की जावेगी, हस्तांतरण नहीं हो पाने की दशा में समस्त हितग्राहियों को फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों की सामूहिक व्यवस्थाओं के बाह्य रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 7.50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एक मुश्त ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि प्राधिकरण के नियमानुसार प्रदान किया जायेगा।
हितग्राहियों द्वारा सोसायटी गठन नहीं कर पाने की दशा में सामूहिक व्यवस्था एवं बाह्य रखरखाव पर होने वाले वास्तविक व्यय की गणना कर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार हितग्राहियों से राशि ली जावेगी, जो कि सभी हितग्राहियों को मान्य रहेगा।
28. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं. ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी रायपुर विकास प्राधिकरण की नहीं होगी। यदि पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तुरंत हितग्राहियों द्वारा देना अनिवार्य होगा। अन्यथा किसी प्रकार के पते के कारण विवाद उत्पन्न होने पर रायपुर विकास प्राधिकरण की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
29. उक्त योजनांतर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्त को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।
30. भवन पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त नहीं करते हैं तो भवन में सुरक्षा हेतु प्राधिकरण के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा।
31. आधिपत्य अधिपत्र जारी होने के 15 दिवसों के भीतर फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा टूट-फूट की जिम्मेदारी स्वयं हितग्राही की होगी।
32. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से फ्लैट क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जायेगा, किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- 33.(अ) गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स पृथक से देय होगा। स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क प्रभारित किया जाता है, तो वह भी पृथक से देय होगा।
(ब) हितग्राहियों को प्रकोष्ठ भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन, शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
(स) निर्धारित जल शुल्क नियमित रूप से पृथक से जमा करना होगा।

34. प्रकोष्ठ भवन के डिजाईन तथा स्पेशीफिकेशन प्राधिकरण द्वारा ही तय किये जायेंगे, बुकलेट में दर्शाये गये स्पेशीफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये प्राधिकरण स्वतंत्र है इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
35. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है एवं प्राधिकरण, की वेबसाईट www.rdaraipur.com में देखा जा सकता है।
36. प्रकोष्ठ भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा।
37. इस आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि आबंटन निरस्त कर दें। ऐसी स्थिति में पंजीयन राशि में 20 प्रतिशत की कटौती (10 प्रतिशत प्रथम किश्त की राशि में) कर शेष राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी।
38. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
39. प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम फ्लैट आधिपत्य के पश्चात या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे एवं उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।
40. फ्लैट का पूर्ण मूल्य निर्धारित किश्तों में हितग्राही को देना होगा, किन्तु फ्लैट का आधिपत्य निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिया जावेगा। निर्धारित किश्तों की तालिका आबंटन आदेश के साथ दी जावेगी।

टीप :-

1. जहाँ-जहाँ प्राधिकरण का जिक्र किया गया है। उसका आशय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण से है।
2. परिवार का आशय पति/पत्नी एवं उनके आश्रित अविवाहित बच्चे।

अति0मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)

IP-2 LIG 2BHK VACCANT LIST

IP-2 VACCANT LIST 01-02-2021		
SR. NO	BLOCK	FLAT NO.
1	B	502
2	B	521
3	B	701
4	B	721
5	B	409
6	B	401
7	B	803
8	B	816
9	C	807
10	C	814
11	D	820
12	E	723
13	E	817
14	E	708
15	E	401
16	E	619
17	D	817
18	E	418
19	E	803
20	E	521
21	E	516
22	E	604
23	D	705

24	D	620
25	C	603
26	C	703
27	D	823
28	D	722
29	D	805
30	D	816
31	D	822
32	D	819
33	C	821
34	C	820
35	C	824
36	C	816
37	C	513
38	C	415
39	E	706
40	D	707
41	C	610